***प्रेस नोट*** **14/11/2024**

**एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 14.11.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बसारतपुर चट्टी के पास से मु0अ0सं0 313/24 धारा 109 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त ललित राजभर पुत्र बेचू राजभर निवासी नौसेमर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त 03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹2,500 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एडीजे  कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 14-11-2024 को मु0अ0सं0 57A/1997 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त संजय पुत्र मधुसूदन  निवासी सरया थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹2,500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आयुद्ध अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹2,500 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम जनपद मऊ द्वारा दिनांक 14-11-2024 को मु0अ0सं0 1746/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त कपूर चंद साहनी पुत्र चंद्रभान साहनी निवासी बैरियाडीह थाना मधुबन  जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹2500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो 05 दोषसिद्ध अभियुक्त 05-05 वर्ष के साधारण कारावास व ₹5,000-5,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एडीजे  कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 14-11-2024 को मु0अ0सं0 57/1997 धारा 147/323/325/308/427/504 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त रामदरस पुत्र त्रिवेणी, पिंटू उर्फ अजय पुत्र राम आधार राय, रिंकू उर्फ विजय पुत्र रामदरस, नगदू पुत्र लक्की राय, विंदुमती पत्नी सुदर्शन,

निवासीगण लालजी का पूरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 05-05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹5,000-5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।